न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 38 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 63

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन।		1. राजु पुत्र सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 2. प्रभु पुत्र सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 3. दयाल पुत्र सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 4. भागोती पुत्री सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 5. बिमला पुत्री सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 6. मन्जु पुत्री सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 7. पतासी बाई पुत्री सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 8. ज्योति पौत्री सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां 9. गुड्डू पुत्र वधु सोहन लाल जाति हरिजन निवासी कांकरिया तहसील नावां

दावा अन्तर्गत भु–राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री रामरतन रेगर नायब तहसीलदार नावां

–:आदेश:– दिनांक : 20.08.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.08.23 15:28:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि–

1. मौजा ग्राम कांकरिया के साबिक खसरा नम्बर 69 रकबा 0.63 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सोहन लाल पुत्र नन्दा राम जाति हरिजन निवासी कांकरिया को कृषि

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन 20/8/24

प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक / राजस्व / 02 / 11–13 दिनांक 10.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी सोहन लाल पुत्र नन्दा राम जाति हरिजन निवासी कांकरिया को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 69 रकबा 0.63 हैक्टर में सोहन लाल पुत्र नन्दा राम जाति हरिजन निवासी कांकरिया को ना.स. 111 दिनांक 07.06.2003 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया था। सोहन लाल पुत्र नन्दा राम जाति हरिजन निवासी कांकरिया आज दिन तक गैर खातेदार चला आ रहा है। गैरखातेदार सोहन लाल पुत्र नन्दा राम हरिजन की मृत्यु हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

2. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 10.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदवारी संवत् 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।
3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि पड़त है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना–पत्र में दिया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का को प्रमाण पत्र संलग्न है।
5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) पालना नहीं की है।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, आवंटन आदेश सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 10.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी नायब तहसीलदार नावां की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार ग्राम कांकरिया के खसरा सं0 69 रकबा 0.63 हैक्टयर सोहनलाल पुत्र नन्दाराम जाति हरिजन को राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 15(2) के तहत कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 10.06.2002 को आंवटन की गई। उक्त आंवटन के पश्चात जमाबन्दी ग्राम कांकरिया में आंवटी सोहनलाल पु[illegible] का नाम गैर खातेदार की हैसियत से अंकित किया गया। जो आदिनांक [illegible] चल[illegible] रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.08.23 15:28:51 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नावां की रिपोर्ट अनुसार सोहनलाल पुत्र नन्दाराम की मृत्यू हो चुकी है तथा उनके वारिसान को [illegible] अप्रार्थी सं0 01 से 09 के रूप में पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी सं0 04 से 07 की तरफ से अधिवक्ता श्री

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन 20/8/24

छोटूराम द्वारा अभिभाषक पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सं0 01, 02, 08, 9 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण/उनके अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिये गये परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का जवाब का अवसर बन्द किया गया। तत्तपश्चात बहस के दौरान बावजुद सूचना अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

आंवटी श्री सोहनलाल को जारी आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6(3) के अनुसार आंवटिती आंवटन के वर्ष में भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत काश्त करेगा और शेष द्वितीय वर्ष में काश्त करेगा। इसी आंवटन आदेश के शर्त सं0 05 के अनुसार आंवटी द्वारा आवंटन नियमों के उल्लघंन करने पर भूमि को बिना किसी मुआवजे राज्य सरकार के दायित्वधीन किये जाने की शर्त अंकित है।

पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2062–2077 तक में भूमि में किसी प्रकार की काश्त का अंकन नहीं है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर न तो सोहनलाल का कभी कब्जा था न ही उनके वारिसान का इस पर कब्जा रहा। अप्रार्थीगणों ने भी उक्त तथ्य के प्रतिकार में सोहनलाल अथवा उनका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होने अथवा उनके द्वारा काश्त किये जाने का कोई दस्तावजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

उपयुर्क्त विवेचन अनुसार आंवटी श्री सोहनलाल एवं तत्तपश्चात उनके वारिसान द्वारा ग्राम कांकरिया के खसरा सं0 69 रकबा 0.63 हैक्टयर जो कि दिनांक 10.06.2002 को आवंटित की गई थी के बाबत राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के आंवटन शर्तो की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा श्री सोहनलाल पुत्र नन्दाराम जाति हरिजन को खसरा सं0 69 ग्राम कांकरिया रकबा 0.63 हैक्टयर की कृषि भूमि आंवटन दिनांक 10.06.2002 को खारीज किया जाता है तथा उक्त भूमि को तत्काल राजकीय सिवाय चक दर्ज कर राजहक में कब्जा लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.08.23 16:28:51 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकु... IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन